संख्या : 7/2015/1636/छप्पन-2014-9/14

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 12 मार्च, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटों के उपयोगार्थ आई-पैड क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 628/ना0उ0वि0/आप्स-36/2014, दिनांक 01-10-2014 एवं पत्र संख्या-955/ना0उ0नि0/आप्स-36/2014, दिनांक 22-12-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें नागरिक उड्डयन निदेशालय के 18 पायलटों को आई-पैड की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निदेशालय के 18 (अट्ठारह) पायलटों को आई-पैड की सुविधा प्रदान करने के लिये यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 से अट्ठारह आई-पैड नियमानुसार क्रय करने हेतु श्री राज्यपाल रूपये 10,60,200/- (रूपये दस लाख साठ हजार दो सौ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनोदश संख्या- ए-1-235/दस-15-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- उक्त अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन दिनांक 31-3-2015 तक अवश्य कर लिया जाय तथा शासन को सूचित किया जाय।

5- उक्त व्यय लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114- वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- एफ0ए0-1-71/दस-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 7/2015/1636(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महाप्रबन्धक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in